

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 678

मंगलवार, 06 फरवरी, 2024/17 माघ, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना

- + 678. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री कनकमल कटारा:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सहकारिता क्षेत्र के कार्य-निष्पादन के संदर्भ में भारत का कार्य-निष्पादन वैश्विक स्तर पर अच्छा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में प्रमुख सहकारिता मॉडल का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2023 में अनुमोदित सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का ब्यौरा क्या है और इसके प्राथमिक उद्देश्य और इससे मिलने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पहल की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) देश में खाद्यान्न भंडारण से संबंधित मुद्दों को किस प्रकार दूर किए जाने की आशा है जिससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ख): संयुक्त राष्ट्र सिस्टम सामाजिक विकास में सहकारी समितियों के महत्वपूर्ण भूमिका को महत्व प्रदान करता है। वर्ष 1995 में, कोपेनहेगेन में आयोजित वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट ने सहकारी समितियों की महत्ता को विकास की एक जन-केंद्रित पद्धति के रूप में मान्यता दी और "utilize and develop fully the potential and contribution of cooperatives for the attainment of social development goals, in particular the eradication of poverty, the generation of full and productive employment, and the enhancement of social integration." (Commitment 9h) पर सहमत हुआ।

इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) के आम सम्मेलन ने 03 जुलाई, 2002 को अपने 90वां सत्र में अन्य बातों के साथ-साथ इस बात को अंगीकार किया कि सहकारी समितियों की पहचान का संवर्धन और सशक्तिकरण को निम्नलिखित के आधार पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए:

(i) स्वयं सहायता, आत्म-जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता, समता व एकजुटता के साथ-साथ इमानदारी, खुलापन, सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की देखभाल के सहकारी आदर्शों; और

(ii) अंतर्राष्ट्रीय सहकारी आंदोलन द्वारा विकसित किए गए सहकारी सिद्धांत। ये सिद्धांत हैं: स्वैच्छिक और खुली सदस्यता; लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण; सदस्यों की आर्थिक प्रतिभागिता; स्वायत्तता और स्वतंत्रता; शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना; सहकारी समितियों के बीच सहयोग; और समुदाय के प्रति सरोकार।

सहकारी सेक्टर के उपर्युक्त अंतर्राष्ट्रीय मापदंड में भारत की स्थिति अच्छी है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में सहकारी सिद्धांत पहले से ही प्रतिष्ठापित हैं। भारत में सहकारी समितियों के संवर्धन और सशक्तिकरण के लिए सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 06 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के पश्चात् "सहकार से समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने तथा देश में प्राथमिक से लेकर शीर्षस्थ स्तर की सहकारी समितियों में सहकारी आंदोलन को अग्रसर करने के लिए अनेक पहलों की हैं। मंत्रालय द्वारा की गई पहलों और अब तक हुई प्रगति **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर (WCM) 2022 के अनुसार भारत में IFFCO और GCMMF जैसे सहकारी संगठन कृषि सेक्टर में शीर्ष दो स्थान पर, उद्योग और यूटिलिटी सेक्टर में ULCCS दूसरे स्थान पर और 12 सहकारी बैंकों (सात राज्य सहकारी बैंक और चार शहरी सहकारी बैंक तथा एक क्रेडिट समिति) का स्थान विश्व की टॉप 300 सहकारी समितियों में हैं।

कुछ भारतीय सहकारी मॉडल जिन्होंने अपने सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं में सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका साबित की है और जो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, के उल्लेखनीय उदाहरण नीचे दर्शाए गए हैं:

- (i) भारत की सहकारी चीनी मिलें (CSMs) मिलकर विश्व की सबसे विशाल सहकारी चीनी क्षेत्र है। सहकारी चीनी मिलें वैश्विक चीनी निर्यात में 4-9% का योगदान देती हैं और 284 सहकारी चीनी मिलें संपूर्ण भारत में 56.80 लाख हितधारक गन्ना उत्पादकों को आश्रय प्रदान करते हैं।
- (ii) उर्वरक क्षेत्र में इफको मॉडल का योगदान **अनुबंध-II** पर संलग्न है।
- (iii) डेयरी सेक्टर में अमूल मॉडल का योगदान **अनुबंध-III** पर संलग्न है।

(ग) से (ड): देश में अन्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने दिनांक 31.05.2023 को "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना" को अनुमोदित किया है जिसे पायलट परियोजना के रूप में देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में आरंभ किया गया है।

इस योजना में कृषि अवसंरचना कोष (AIF), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (AMI), कृषि यांत्रिकी पर उपमिशन (SMAM), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME), इत्यादि जैसे भारत सरकार की मौजूदा विभिन्न योजनाओं के अभिसरण द्वारा पैक्स के स्तर पर विकेंद्रीकृत गोदामों

की स्थापना, कस्टम हाइरिंग केंद्र, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकाने, आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचना का सृजन करना शामिल है जिसके तहत पैक्स गोदामों/भंडारण सुविधाएं के निर्माण तथा अन्य कृषि अवसंरचना स्थापित करने के लिए सब्सिडी और ब्याज अनुदान लाभ ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त नाबार्ड भी पैक्स को 2 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं के लिए कृषि अवसंरचना कोष के अधीन 3% ब्याज अनुदान लाभ प्रदान करने के अलावा लगभग 1 प्रतिशत के उच्च सब्सिडी दर पर पुनर्वितीयन द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। अतः, इस योजना का लक्ष्य पैक्स के व्यावसायिक कार्यकलापों में विविधता लाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त करना और उन्हें राजस्व के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करना है तथा अंततः, उनकी वित्तीय संवहनीयता में सुधार लाना है।

इस पायलट परियोजना को नाबार्ड, भारतीय खाद्य निगम (FCI), केंद्रीय भांडागारण निगम (CWC), नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS), नैशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC), इत्यादि की सहायता से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के अधीन पैक्स को इन एजेंसियों द्वारा परामर्शी सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है।

इसके अलावा, इस परियोजना के अधीन पैक्स के स्तर पर सृजित की जा रही भंडारण सुविधाओं की क्षमता का पूर्णतया उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार), खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (भारत सरकार), भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इससे पैक्स स्तर पर निर्मित गोदामों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा किराए पर लेना सुगम होगा जिसके फलस्वरूप पैक्स को अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड बाजार लिंकेज प्राप्त हो सकेगा। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना के अधीन पैक्स स्तर पर निर्माण किए जाने वाले भांडागारों के निर्माण और किराए पर देने के कार्य में एनसीसीएफ को सुलभ सहायता प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय (भारत सरकार), उपभोक्ता मामले विभाग (भारत सरकार), नाबार्ड, एनसीडीसी और एनसीसीएफ के बीच भी एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है।

इस पायलट परियोजना के अधीन भंडारण क्षमता के सृजन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित (NCCF) व भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता विपणन संघ मर्यादित (NAFED) जैसे राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों ने 2,000 से भी अधिक पैक्स की पहचान की है। वर्तमान में 13 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 13 पैक्स में गोदामों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों पर है।

पैक्स स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने से देश में पर्याप्त भंडारण क्षमता के निर्माण द्वारा देश में फसल पश्चात् नुकसान में कमी आएगी और पंचायत/गांव स्तर तक देश में खाद्य सुरक्षा सशक्त होगी। इससे किसानों द्वारा फसलों की संकटकालिक बिक्री की भी रोकथाम होगी और उन्हें अपने फसलों का बेहतर मूल्य भी प्राप्त होगा। चूंकि, पैक्स प्रापण केंद्र के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकान (FPS) के रूप में कार्य करेंगे, इसलिए खाद्यान्न का प्रापण केंद्रों तक परिवहन और पुनः भांडागारों से उचित मूल्य की दुकान तक स्टॉक के परिवहन में होने वाले व्यय में भी बचत होगी।

यह परियोजना किसानों और उपभोक्ताओं को विभिन्न लाभ प्रदान करने के साथ-साथ निम्नलिखित लाभ भी प्रदान करेगा:

- i. किसान अपने उपज का पैक्स में निर्मित गोदामों में भंडारण और अगले फसल चक्र के लिए तात्कालिक वित्त प्राप्त कर सकेंगे और अपनी इच्छानुसार समय पर अपनी उपज बेच सकेंगे,

या न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्स को अपनी पूरी फसल बेच सकेंगे जिससे वे फसलों की संकटकालिक बिक्री से बच सकेंगे ।

- ii. उन्हें पंचायत/गांव के स्तर पर ही विभिन्न कृषि निविष्टियां प्राप्त हो सकेंगी ।
- iii. अपने व्यवसाय के विविधीकरण द्वारा किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोत प्राप्त होंगे ।
- iv. खाद्य आपूर्ति प्रबंधन श्रृंखला के एकीकरण द्वारा किसान अपने बाजार के आकार का विस्तार और अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकेंगे ।
- v. पैक्स के स्तर पर पर्याप्त खाद्यान्न भंडारण क्षमता के सृजन से फसल पश्चात् नुकसान घटाने में मदद मिलेगी जिसके फलस्वरूप किसान बेहतर कीमत प्राप्त कर सकेंगे ।
- vi. उपर्युक्त के अतिरिक्त यह योजना देश भर में पंचायत/गांव के स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगी जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे ।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गयी 54 पहलें

सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपने गठन के बाद से, "सहकार-से-समृद्धि" की परिकल्पना को साकार करने के लिए और देश में पैक्स से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों तक सहकारी आंदोलन को मजबूत एवं सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। अब तक की गई पहलों और प्रगति की सूची निम्नवत है:

क. प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना

- 1. पैक्स हेतु आदर्श (मॉडल) उपनियम जो उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी तथा पारदर्शी संस्थाएं बनाते हैं:** सरकार ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से, पैक्स के लिए आदर्श (मॉडल) उपनियम तैयार करके सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालित किए हैं, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ करने में तथा अपने संचालन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मॉडल उपनियमों को अब तक 32 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है अथवा उनके मौजूदा बायलॉज मॉडल उपनियमों के अनुरूप हैं।
- 2. कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सुदृढ़ीकरण :** पैक्स को सुदृढ़ बनाने हेतु, 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 63,000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें देश की सभी कार्यात्मक पैक्स को सामान्य ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना सम्मिलित है। परियोजना के अंतर्गत 28 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 62,318 पैक्स स्वीकृत किए गए हैं। सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है और अब तक 27 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की 15,783 पैक्स में ई.आर.पी. ट्रायल रन शुरू हो गए हैं।
- 3. अनाच्छादित पंचायतों में नई बहु-उद्देशीय पैक्स/ डेयरी/ मत्स्य सहकारी समितियों का गठन:** सरकार द्वारा नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, एनसीडीसी और अन्य राष्ट्रीय स्तरीय संघों के सहयोग से अगले पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करते हुए नई बहु-उद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 9,000 से अधिक नई पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।
- 4. सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना:** सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (एसएमएम), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), आदि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आयेगी, किसानों

को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं विभिन्न कृषि आवश्यकताओं को पैक्स स्तर पर ही पूरा किया जा सकेगा। 27 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों तथा राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों जैसे कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए 2,000 से अधिक पैक्स चिह्नित की गई हैं।

5. **ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच हेतु सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में पैक्स:** पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड तथा आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट, आदि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। अब तक 30,647 पैक्स द्वारा ग्रामीण नागरिकों को सीएससी सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी आय बढ़ाने का कार्य शुरू किया जा चुका है।
6. **पैक्स के माध्यम से नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन:** सरकार द्वारा ऐसे ब्लॉक में जहां अभी तक एफपीओ का गठन नहीं हुआ है या वह ब्लॉक किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, एनसीडीसी के सहयोग से पैक्स द्वारा 1,100 अतिरिक्त एफपीओ बनाने की अनुमति दी गई है। इसके आलावा, एनसीडीसी द्वारा सहकारिता क्षेत्र में 672 एफपीओ का गठन किया जा चुका है। यह किसानों को उनकी उपज के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य तथा आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान करने में सहायक होगा।
7. **खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट हेतु पैक्स को प्राथमिकता:** सरकार द्वारा खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के आवंटन हेतु पैक्स को संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी2) में शामिल करने की अनुमति दी गई है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 26 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 240 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है। ओएमसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अभी तक 39 पैक्स का चयन किया जा चुका है।
8. **पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने की अनुमति:** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ चर्चा के आधार पर, पैक्स की आय में वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को खुदरा दुकानों में परिवर्तित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 4 राज्यों के 109 थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स ने खुदरा दुकानों में रूपांतरण के लिए सहमति दी है, जिनमें से 43 पैक्स को ओएमसी से आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुए हैं।
9. **पैक्स द्वारा अपनी गतिविधियों में विविधता लाने हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्रता:** सरकार द्वारा पैक्स को एलपीजी वितरण हेतु आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है। इससे पैक्स को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने का अवसर मिलेगा। 3 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 9 पैक्स द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है।

- 10. ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं की पहुंच में सुधार हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स:** सरकार पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र संचालित करने हेतु बढ़ावा दे रही है, जो उन्हें अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करेगा तथा ग्रामीण नागरिकों को जेनेरिक दवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। अब तक 4,629 पैक्स/ सहकारी समितियों द्वारा पीएम जनऔषधि केंद्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिनमें से 2,475 पैक्स को प्रारंभिक मंजूरी भी दे दी गई है। इनमें से, 617 पैक्स को राज्य ड्रग कंट्रोलर द्वारा ड्रग लाइसेंस प्रदान किये जा चुके हैं तथा ये जन औषधि केन्द्रों के सञ्चालन के लिए तैयार हैं।
- 11. प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केन्द्र (पीएमकेएसके) के रूप में पैक्स :** सरकार देश में किसानों तक उर्वरक और संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को पीएमकेएसके संचालित करने हेतु बढ़ावा दे रही है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 35,293 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- 12. पैक्स स्तर पर पीएम-कुसुम का अभिसरण:** पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर सकते हैं।
- 13. पैक्स द्वारा ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं (पीडब्लूएस) का संचालन एवं रखरखाव :** ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की पहुंच का उपयोग करते हुए, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, जल शक्ति मंत्रालय ने पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव (ओएंडएम) करने की अनुमति दे दी है। राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभी तक 14 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पंचायत/ ग्राम स्तर पर 1,630 पैक्स को ओ एंड एम सेवाएं प्रदान करने हेतु चिह्नित/ चयनित किया गया है।
- 14. डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम:** डेयरी तथा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को डीसीसीबी एवं एसटीसीबी का बैंक मित्र बनाया जा सकता है। व्यापार की सुगमता, पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने हेतु, इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'डोर स्टेप वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से माइक्रो-एटीएम भी प्रदान किये जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में बैंक मित्र सहकारी समितियों को 1,723 माइक्रो-एटीएम वितरित किए जा चुके हैं। यह पहल अब गुजरात राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।
- 15. दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपये किसान क्रेडिट कार्ड:** ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच और डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक चल निधि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने तथा अन्य वित्तीय लेनदेन में सक्षम बनाने हेतु सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपये किसान क्रेडिट कार्ड (रुपे केसीसी) वितरित किए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में 1,23,685 रुपये केसीसी वितरित किए जा चुके हैं। यह पहल अब गुजरात राज्य के सभी जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।
- 16. मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों का गठन (एफएफपीओ):** मछुआरों को बाजार लिकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु, एनसीडीसी द्वारा प्रारंभिक चरण में 69 एफएफपीओ का

पंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ एनसीडीसी को 1000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को एफएफपीओ में बदलने का कार्य सौंपा है।

ख . शहरी एवं ग्रामीण सहकारी बैंको का सुदृढीकरण

17. यूसीबी को व्यापार विस्तार करने हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति: शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5 शाखाएँ) तक नई शाखाएँ खोल सकते हैं।

18. आरबीआई द्वारा यूसीबी को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति: यूसीबी द्वारा अब डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है। इन बैंकों से जुड़े खाताधारक अब घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं, जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट, पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, आदि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

19. सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने की अनुमति: सहकारी बैंक बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अब तकनीकी राइट-ऑफ के साथ-साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं।

20. यूसीबी को दिए गए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समय सीमा बढ़ाई गई: आरबीआई द्वारा यूसीबी के लिए पीएसएल के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा दो साल अर्थात् 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

21. यूसीबी के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित: सहकारिता क्षेत्र की गहन समन्वय और केंद्रित संवाद की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने हेतु आरबीआई द्वारा एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया गया है।

22. आरबीआई द्वारा ग्रामीण तथा शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी से अधिक की गई:

- शहरी सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा अब 30 लाख रुपये से दोगुनी कर 60 लाख रुपये कर दी गई है।
- ग्रामीण सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है।

23. ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/रिहाइशी आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे, जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी: इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि हाउसिंग सहकारी समितियों को भी लाभ होगा।

24. सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क कम किया गया: सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (एईपीएस) से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थान भी प्री-प्रोडक्शन चरण के पहले तीन महीनों में यह

सुविधा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक के माध्यम से घर बैठे ही बैंकिंग की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

25. ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी को सीजीटीएमएसई योजना में सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) के रूप में अधिसूचित किया गया: सहकारी बैंक अब दिए गए कर्ज पर 85 फीसदी तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलैटरल मुक्त ऋण मिल सकेगा।

26. शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना: वे यूसीबी जो 'वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित' (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बनाए हुए हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची II में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

27. गोल्ड लोन के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई: आरबीआई द्वारा पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से दोगुना कर 4 लाख रुपये कर दिया गया है।

28. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन: आरबीआई द्वारा यूसीबी क्षेत्र के लिए एक अंब्रेला संगठन (यूओ) की स्थापना हेतु नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (नैफकब) को मंजूरी दे दी गई है, जिससे लगभग 1,500 यूसीबी को आवश्यक आईटी अवसंरचना और संचालन में सहायता मिलेगी।

(ग) सहकारी समितियों के लिए आयकर अधिनियम में राहत

29.1 से 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली सहकारी समितियों का अधिभार 12% से घटाकर 7% किया गया: इससे सहकारी समितियों पर आयकर का बोझ कम पड़ेगा तथा काम के लिए उनके पास अधिक मात्रा में पूँजी उपलब्ध हो पाएगी, जिससे उनके सदस्यों को लाभ मिलेगा।

30. सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया: इस प्रावधान से अब सहकारी समितियों तथा कंपनियों के बीच इस मामले में समतुल्यता आ गई है।

31. अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत नकद लेनदेन में राहत: सहकारी समितियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत नकद लेनदेन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु सरकार द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि किसी सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ एक दिन में किए गए 2 लाख रुपये से कम के नकद लेनदेन को अलग समझा जाएगा और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

32. नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती: सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 31, 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को अधिभार के

साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगेगा। इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन मिलेगा।

33. पैक्स एवं पीसीएआरडीबी द्वारा नकद जमा राशियों व नकद ऋणों की सीमा में वृद्धि: सरकार द्वारा पैक्स एवं प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंको (पीसीएआरडीबी) द्वारा नकद जमा राशियों एवं नकद ऋण की सीमा को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दिया गया है। यह प्रावधान उनकी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगा, उनके व्यवसाय को बढ़ाएगा तथा समितियों के सदस्यों को लाभान्वित करेगा।

34. नकद निकासी में स्रोत पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि: सरकार द्वारा सहकारी समितियों के स्रोत पर कर कटौती किये बिना उनकी नकद निकासी की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों को स्रोत पर कर कटौती की बचत होगी (सटीडीए), जिससे उनकी चल निधि में वृद्धि होगी।

घ. सहकारी चीनी मिलों का पुनरुत्थान

35. सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत: सरकार द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि अप्रैल, 2016 उपरान्त किसानों को उचित और लाभकारी या राज्य सलाहित मूल्य तक गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर सहकारी चीनी मिलों को अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा।

36. सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान: सरकार द्वारा अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में यह प्रावधान किया गया है कि चीनी सहकारी समितियों को आंकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ना किसानों को किये गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी, जिससे उन्हें 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राहत मिली है।

37. सहकारी चीनी मिलों के सुदृढीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना: सरकार द्वारा इथेनॉल संयंत्र या सह-उत्पादन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी या तीनों उद्देश्यों के लिए एनसीडीसी के माध्यम से एक योजना शुरू की गई है। एनसीडीसी द्वारा अब तक, 25 सहकारी चीनी मिलों को 3,310.57 करोड़ रुपये की ऋण राशि की मंजूरी दी जा चुकी है।

38. सहकारी चीनी मिलों को एथेनॉल की खरीद में प्राथमिकता: एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रमके तहत (ईबीपी) भारत सरकार द्वारा एथेनॉल खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को अब निजी कंपनियों के समतुल्य रखा गया है।

39. शीरा पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया: सरकार द्वारा शीरा पर जीएसटी मौजूदा 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है, जिससे सहकारी चीनी मिलें उच्च मार्जिन पर डिस्टिलरीज को शीरा बेचकर अपने सदस्यों के लिए अधिक मुनाफा कमा सकेंगी।

ङ. राष्ट्रीय स्तरीय तीन नई बहु-राज्यीय समिति

40. प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्यीय सहकारी बीज समिति: सरकार द्वारा एकल ब्रांड के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नई शीर्ष बहु-राज्य भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की गई है। 1,750 एकड़ भूमि पर गेहूं, सरसों

तथा दालों (चना, मटर) के ब्रीडर बीजों की बुआई की जा चुकी है जिससे अपेक्षित उत्पादन 13 हजार क्विंटल है। मूँगफली, धान, मक्का तथा बाजरा के फाउंडेशन/ प्रमाणित बीजों के लिए कार्य किया जा रहा है। अब तक, 33 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यता के लिए 13,985 पैक्स/ सहकारी समितियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

41. जैविक खेती के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्यीय सहकारी जैविक समिति: सरकार द्वारा प्रमाणित एवं प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण एवं विपणन के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नई शीर्ष बहु राज्य-राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) समिति की स्थापना की गई है। अब तक, 26 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यता के लिए 5,102 पैक्स /सहकारी समितियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। NCOL द्वारा "भारत ऑर्गेनिक्स" ब्रैंड के तहत 6 जैविक प्रोडक्ट लॉन्च किए जा चुके हैं।

42. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय बहु राज्यीय सहकारी निर्यात समिति: सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नई शीर्ष बहु राज्य राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) समिति की स्थापना की गई है। अब तक, 27 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्यता के लिए 6,499 पैक्स/ सहकारी समितियों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। NCEL को अभी तक, 20 देशों में 23.9 एलएमटी चावल और 2 देशों में 50,000 मैट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति मिल चुकी है।

च. सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण

43. राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता को प्रोत्साहन: एनसीसीटी द्वारा अपनी पहुँच बढ़ाते हुए, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,287 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा 2,01,507 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

44. सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना: सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, शोध एवं विकास तथा प्रशिक्षित श्रमबल की स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति हेतु एक सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा कैबिनेट नोट तैयार किया गया है।

छ. 'व्यवसाय करने की सुगमता' हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

45. केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण: बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए एक - डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु केंद्रीय पंजीयक कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जो समयबद्ध तरीके से आवेदनों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में सहायता करेगा।

46. राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आरसीएस के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु योजना: सहकारी समितियों के लिए 'व्यवसाय करने की सुगमता' को बढ़ाने एवं सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में पेपर रहित पारदर्शी विनियमन हेतु एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, आरसीएस कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु केंद्र प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास, आदि के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। अभी तक, इस परियोजना हेतु 33 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 30 को अनुमोदित किया जा चुका है।

47. कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों का कम्प्यूटरीकरण (एआरडीबी): सरकार द्वारा दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने हेतु 13 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 1,851 कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। नाबार्ड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है तथा एआरडीबी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सॉफ्टवेयर विकसित करेगा। परियोजना के तहत हार्डवेयर, लिगेसी डेटा के डिजिटलीकरण के लिए सहायता, कर्मचारियों को प्रशिक्षण, आदि प्रदान किए जाएंगे। अभी तक, इस परियोजना हेतु 8 राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया जा चुका है।

ज. अन्य पहलें

48. प्रमाणिक एवं अपडेटेड डेटा संग्रहण के लिए नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस: नीति निर्माण और देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में हितधारकों की सुविधा के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश की सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। अब तक डेटाबेस में लगभग 8.02 लाख सहकारी समितियों का डेटा शामिल किया जा चुका है।

49. नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का निर्माण: 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु नई राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई जा रही है, जिसके लिए देश भर से 49 विशेषज्ञों तथा हितधारकों को सम्मिलित करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है।

50. बहु-राज्यीय सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2023: बहु राज्यीय सहकारी समितियों में शासन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता तथा जावाबदेही बढ़ाने, चुनावी प्रक्रिया को बेहतर करने तथा 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को सम्मिलित करने हेतु एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन किए गए हैं।

51. जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में सम्मिलित करना: सरकार ने सहकारी समितियों को जेम पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दे दी है, जिससे वे लगभग 67 लाख से अधिक विक्रेताओं से किफायती दर पर एवं अधिक पारदर्शिता के साथ सामान एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय कर सकते हैं। अब तक 559 सहकारी समितियाँ जेम पर क्रेता के रूप में ऑनबोर्ड हो चुकी हैं।

52. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की व्यापकता एवं गहनता बढ़ाने हेतु गतिविधियों का विस्तार: एनसीडीसी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे एसएचजी के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार' और डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' शुरू की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में एनसीडीसी द्वारा कुल 41,024 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की गई, जो वर्ष 2021-22 में 34,221 करोड़ रुपये के संवितरण से लगभग 20% अधिक है। भारत सरकार ने एनसीडीसी को निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के पालन के अधीन, सरकारी गारंटी के साथ 2,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, एनसीडीसी विभिन्न राष्ट्रीय

योजनाओं को सहकारी समितियों के डोर-स्टेप तक पहुंचाने के उद्देश्य से 6 पूर्वोत्तर राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एवं त्रिपुरा में उप-कार्यालय स्थापित कर रहा है।

53. एनसीडीसी द्वारा गहरे समुद्री ट्रॉलरों हेतु वित्तीय सहायता: एनसीडीसी भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के समन्वय से गहरे समुद्र में ट्रॉलर से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनसीडीसी ने महाराष्ट्र राज्य की मात्स्यिकी सहकारी समितियों के लिए 14 गहरे समुद्र ट्रॉलर की खरीद हेतु 20.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

54. सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड: सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। जमाकर्ताओं की उचित पहचान एवं उनकी जमा राशि तथा दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने के पश्चात भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

इफको का सहकारी मॉडल

भारतीय किसान उर्वरक सहकारी समिति, जिसे इफको (IFFCO) के नाम से जाना जाता है, एक बहु-राज्य सहकारी समिति है। आज, वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर (WCM) रिपोर्ट के 2022 संस्करण में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर टर्नओवर के अनुपात के आधार पर दुनिया की 300 शीर्ष सहकारी समितियों की सूची में इफको को दुनिया में नंबर 1 सहकारी के रूप में स्थान दिया गया है। यह रिपोर्ट प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर कारोबार के अनुपात पर आधारित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) द्वारा डिजाइन किया गया है।

इफको एक कृषि सहकारी समिति है, इसकी सदस्यता भारत की प्राथमिक/ग्राम स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय सहकारी समितियों तक सभी कृषि सहकारी समितियों के लिए खुली है। इफको के पास 35,500 से अधिक समितियों का सदस्य आधार है, जिनमें से 80% से अधिक सदस्य प्राथमिक स्तर की समितियाँ हैं। सदस्य समितियों का मुख्य व्यवसाय किसानों को इफको की गुणवत्तापूर्ण उर्वरक बेचना है। इफको के पांच अत्याधुनिक संयंत्र कलोल, कांडला, फूलपुर, आंवला और पारादीप में स्थित हैं। भारतीय उर्वरक उद्योग की मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए, इफको ने भारत के बाहर ओमान, जॉर्डन और सेनेगल आदि में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में प्रवेश किया है। इफको की दुबई में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भी है जो इफको की अंतरराष्ट्रीय व्यापार शाखा के रूप में कार्य करती है और मुख्य रूप से आयात, निर्यात और रसद समर्थन को संभालने में मदद करता है।

समय के साथ इफको ने किसानों के लाभ के लिए बीमा, कृषि रसायन, ई-कॉमर्स, ग्रामीण वित्त, विशेष आर्थिक क्षेत्र, किसान कॉल सेंटर आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विविधता ला दी है। इफको ने भारतीय फार्म वानिकी विकास सहकारी लिमिटेड (IFFDC) नामक अन्य सहकारी संस्थान को बढ़ावा दिया है जो बंजर भूमि और कृषि वानिकी के वनीकरण, एकीकृत जलक्षेत्र विकास, ग्रामीण आजीविका विकास, महिला सशक्तिकरण, सीएसआर आदि पर केंद्रित है।

इफको सदस्यों को उनके भुगतान किए गए शेयर पर 20% लाभांश का भुगतान कर रहा है। इसके अलावा, इफको आपसी विकास और व्यापार विकास के लिए सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरीशस, जॉर्डन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और फिलीपींस आदि जैसे विभिन्न देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता, ज्ञान और अनुभव साझा कर रहा है।

टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए, हाल ही में इफको ने नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उत्पाद यानी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी लॉन्च किए हैं। वर्तमान में सोसायटी की प्रदत्त शेयर पूंजी 31 मार्च, 2023 तक रु. 6126.5 मिलियन (612.65 करोड़ रुपये) है।

अमूल का सहकारी मॉडल

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (अमूल), जो भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी (FMCG) कंपनी है, जिसका वार्षिक ब्रांड बिक्री कारोबार रु. 72,000 करोड़ है। जीसीएमएमएफ (अमूल) एक सहकारी संघ है जिसमें गुजरात (भारत) में 36 लाख दूध उत्पादक शामिल हैं, जो 18,600 ग्राम डेयरी सहकारी समितियों के तहत संगठित है और प्रति दिन 3 करोड़ लीटर से अधिक दूध का प्रबंधन करता है।

अमूल की त्रि-स्तरीय संरचना भारत के सहकारी परिदृश्य में इसकी सफलता की आधारशिला रही है। जमीनी स्तर पर प्राथमिक दूध उत्पादक हैं, जो ग्राम सहकारी समितियों (VDCS) को दूध देते हैं। जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, जिले के सभी वीडीसीएस से दूध एकत्र करता है और दूध को वीडीसीएस में संसाधित करके मूल्य वर्धित उत्पादों में परिवर्तित करता है। राज्य स्तरीय दुग्ध विपणन संघ, राज्य के सभी जिला संघों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री और विपणन की देखरेख करता है। यह त्रि-स्तरीय मॉडल किसानों के लिए उचित रिटर्न, कुशल दूध संग्रह और अमूल उत्पादों की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

जीसीएमएमएफ (अमूल) दूध प्रबंधन की मात्रा के मामले में दुनिया की आठवीं सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है (*इंटरनेशनल फार्म कम्पेरिजन नेटवर्क 2020 द्वारा*)। वर्ष 2023 में अमूल को दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड और दुनिया के दूसरे सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड (*ब्रांड फाइनेंस, यूके द्वारा*) के रूप में मान्यता दी गई है। अमूल विश्व स्तर पर तीसरे सबसे बड़े ब्रांड के रूप में रैंक किया गया है जिसे 6 बिलियन बार (*कंठार द्वारा*) अलमारियों से उठाया गया है।

अमूल मॉडल को भारत के पड़ोसी देशों और अफ्रीका महाद्वीप के देशों में भी दोहराया जा रहा है।
